उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की दिनांक 31.03.09 को एफ0आर0डी0सी0 सभागार सचिवालय, देहरादून में सम्पन्न हुई 10वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 10वी बैठक दिनांक 31.03.09 को मध्यान्ह 12:00 बजे से एफ0आर0डी0सी0 सभागार में अध्यक्ष यूईपीपीसीबी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बोर्ड बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री एन.एस. नपलच्याल, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. डा0 अजय गैरोला, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री आर. एम. सुन्दरम्, उपाध्यक्ष, मसूरी विकास प्राधिकरण।
4. श्री एस.एम. जोशी, वन संरक्षक (प्रशासन)।
5. श्री एस.के. गोयल, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, देहरादून।
6. डा0 गुरूपाल सिंह, वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री सुभाष चन्द्रा, अनुसचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
8. श्री पंकज गुप्ता, प्रतिनिधि, उत्तराखण्ड चैम्बर ऑफ कामर्स।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया गया, तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विभिन्न कार्यसूची के बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गयें।

कार्य सूची संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
10.1	बोर्ड की 9वीं बैठक दिनांक 07.02.08 के कार्यवृत का अनुमोदन।	सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा प्रेषित कार्यवृत के सम्बन्ध में किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अतः सर्वसमति से 9वी बैठक का कार्यवृत का अनुमोदन किया गया।
10.2	बोर्ड की 9वीं बैठक में लिये गये निर्णय पर अनुपालन आख्या।	यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड के ढाँचे हेतु शासन स्तर पर शीघ्र अनुमोदन हेतु प्रयास किये जायें। जल व वायु नियमावली हेतु शासन के विधायी विभाग में सम्पर्क कर शीघ्र अनुमोदन हेतु प्रयास किये जायें। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जो कार्य आउट सोर्स एजेन्सी से कराये जाने हैं ऐसे कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत procurement rules के अनुसार ही किये जाये।

10.3	बोर्ड के वर्ष 2005–06 एवं 2006–07, की आडिटेड बैलेंस शीट।	बोर्ड द्वारा वर्ष 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 की आडिटेड बैलेंस शीट का अवलोकन किया गया तथा बोर्ड के चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा दी गयी संस्तुतियों को बोर्ड में लागू करने का निर्णय लिया गया।
10.4	बोर्ड के वर्ष 2008–09 एवं आगामी वर्ष 2009–10, का प्रस्तावित बजट।	वित्तीय वर्ष 2008–09, के बजट की कार्योत्तर स्वीकृति तथा वर्ष 2009–10 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।
10.5	राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) एवं राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (SEAC)हेतु बजट आवंटन के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु SEIAA एवं SEAC हेतु रू0 5–5 लाख का बजट बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया तथा वर्ष 2009–10 हेतु SEIAA हेतु रू0 15 लाख एवं SEAC हेतु रू0 10 लाख का बजट अनुमोदन किया गया ।
10.6	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रतिनिधायित की गयी शक्तियों के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह निर्णय भी लिया गया कि 5 करोड विनियोजन तक के लाल श्रेणी के अतिरिक्त स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति क्षेत्रीय अधिकारी तथा 50 करोड़ तक के प्रकरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेगें। लाल श्रेणी के अन्तर्गत अंकित किसी भी विनियोजन के प्रकरणों की स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत की जायेगी। जल, वायु एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं विधिक कार्यवाही एवं दण्डात्मक कार्यवाही पूर्व की भॉति ही बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त की जायेगी।
10.7	सहमति स्थापनार्थ एवं सहमति संचालन हेतु अपूर्ण आवेदन पत्रों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी के अतिरिक्त एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी अपूर्ण आवेदन पत्रों को वापस किये जाने हेतु अधिकृत किये जाये।
10.8	बोर्ड के वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

10.9	वर्ष 2009–10 हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष के अनुमोदन से बायोमेडिकल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एवं उद्योगों के निरीक्षण के सम्बन्ध में भी लक्ष्य निर्धारित किये जायें।
10.10	जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 52 के अन्तर्गत राज्य जल प्रयोगशाला को अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।	PCRI हरिद्वार को शासन स्तर से राज्य प्रयोगशाला अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
10.11	वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 28 के अन्तर्गत राज्य वायु प्रयोगशाला को अधिसूचित करने के सम्बन्ध में।	PCRI हरिद्वार को शासन स्तर से राज्य प्रयोगशाला अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्त में बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की सहमति से सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों प्रतिभागियों का बैठक में भाग लेने एवं अपने विचार रखने हेतु धन्यवाद प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष महोदय के आभार के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अनुमोदित

02/04/09

(डा0 अजय गैरोला)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

2/4/09

(एन.एस. नपलच्याल)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून